

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र ।

पत्रांक- 426 /सोनभद्र/33,दिनांक, रावर्टसगंज, सितम्बर 12, 2022
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षण,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से नकरीबारी मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में सोनभद्र वन प्रभाग में किमी0 0.000 से 40.150 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 18.09हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर में किमी0 40.150 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित 0.4293हे0 आरक्षित वनभूमि एवं शून्य वृक्षों का पातन अर्थात् कुल 18.5193हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 98 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

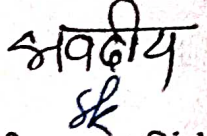
सन्दर्भ- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-733/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/रोड/121267/2021 लखनऊ, दिनांक-29.08.2022।

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रकरण में इंगित कनियों/अपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर संशोधित समेकित प्रस्ताव की चार प्रतियां मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र0सं0	आपत्ति/कमियां	आख्या
1	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी दिनांक-14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	महोदय आपके स्तर से अपेक्षित
2	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक-06.01.2022 का उल्लेख नहीं किया गया है।	पेज संख्या-123,124 पर संलग्न कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना कैमूर वन्य जीव विहार के इको सेंसिटिव जोन से बाहर होने का उल्लेख है, किन्तु इको सेंसिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं है।	पेज संख्या-81 से 98 पर संलग्न कर दिया गया है।
4	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित को संलग्न नहीं है।	पेज संख्या-135 पर संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	पेज संख्या-134 पर संलग्न कर दिया गया है।
6	मुख्य वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र एवं संस्तुति भाग-3 में चैनैज सं0-0.00 से 46.045 तक आनलाइन पार्ट-1 में 0.00 से 46.050 तक मार्ग चौड़ीकरण का उल्लेख है, जो कि भिन्न-भिन्न एवं	महोदय आपके स्तर से अपेक्षित है।

	त्रुटिपूर्ण है। अतः मुख्य वन संरक्षक के पत्र एवं संस्तुति भाग-3 में सही चैनेज सं० का उल्लेख कर आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 पर अपलोड करें।	
7	प्रस्ताव में संलग्न आनलाइन भाग-1 में गाटा संख्या-710च अंकित है जो कि गलत है।	संशोधित कर दिया गया है।
8	आनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति अपलोड नहीं है।	अपलोड कर दिया गया है।
9	परियोजना में कैमूर वन्यजीव प्रभाग भी प्रभावित है। अतः दोनो वन प्रभागों का समेकित प्रस्ताव प्रेषित करें।	समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत है।
10	प्रस्ताव में संलग्न पेनड्राइव में सभी अभिलेखों की अलग-अलग पी०डी०एफ० फाइल अपलोड की गयी है, जो कि गलत है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की समेकित पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।	संशोधित प्रस्ताव की समेकित पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों के साथ संलग्न है

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


 (संजीव कुमार सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनमद्र वन प्रभाग सोनमद्र।

संख्या- 426 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।।
 प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


 (संजीव कुमार सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनमद्र वन प्रभाग, सोनमद्र